चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 02.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकृत यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.शेषनारायण पुत्र रामहर्ष निवासी भटरी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2.रवि तिवारी पुत्र जगतनारायण तिवारी निवासी इटवां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 24-24 बीयर केन के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियन के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गा।

बरामदगी:-

48 बीयर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ

2.उ0नि0 यूटी0 श्री अभिनव प्रताप सिंह
3.उ0नि0 यूटी0 श्री दिव्यांस पाण्डेय

(4). कल दिनाँक 01.06.2024 की रात्रि लगभग 08 बजे करीब यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह अपनी टीम के साथ बस स्टैण्ड पर एण्टी ड्रिंक एण्ड ड्राइव अभियान के अन्तर्गत शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की ब्रीथ एनालाइज से चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान स्विफ्ट कार रजि0 नं0 UP70 BF5310 पर सवार चालक एवं उसके सहयोगी की ब्रीथ एनलाइजर से चेकिंग करने कि कोशिश की गयी तो युवक रोहित द्विवेदी एवं महेश श्रीवास द्वारा गाली-गलौज एवं धक्का मुक्की करते हुये बीच सड़क पर ड्रामा करना प्रारम्भ कर दिया गया। घटना की सूचना थाना कोतवाली कर्वी को दी गयी तो थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा दोनों युवकों को तत्काल थाने पर लाया गया। प्रभारी यातायात द्वारा उपरोक्त स्विफ्ट कार को सीज किया गया तथा 29 हजार रुपये का ई-चालान किया गया। युवकों की ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की गयी तो एलकोहल पिये हुये पाये गये। पूरे घटना क्रम के सम्बन्ध में यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह की तहरीर पर थाना कोतवाली कर्वी में रोहित द्विवेदी पुत्र चन्द्रकान्त द्विवेदी निवासी चौकी के पीछे सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी व महेश श्रीवास पुत्र कुंजीलाल निवासी चन्द्रगहना थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मु0अ0सं0 363/2024 धारा 332,353,323,504 भादवि0 पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा अभियुक्तों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया तो मेडीकल रिपोर्ट में भी शराब का सेवन करने की पुष्टि हुयी है।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 10 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
(i). थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उ0नि0 श्री बालकिशुन,उ0नि0 यूटी0 श्री उत्कर्ष कुमार सिंह, आरक्षी सतीश,आरक्षी संदीप लोधी द्वारा मु0अ0सं0 6629/2014 धारा 147,452,323,504,506 भादवि0 कोतवाली कर्वी के वारण्टी अभियुक्त 1.बबलू उर्फ महेंद्र प्रताप पुत्र स्व0 रामेश्वर 2.मुलायम यादव पुत्र रामनरेश उर्फ राजनरेश निवासीगण निवासी ग्राम बरूई पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट, मु0अ0सं0 390/2019 धारा 03 लोक संपत्ति क्षति निवा0 अधि0 के वारण्टी अभियुक्त 3.राजकुमार प्रजापति पुत्र रामआसरे निवासी कुम्हारन पुरवा मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट, मु0अ0सं0 6602/2014 धारा 379,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 4.कल्लू यादव उर्फ फूलचंद्र पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी भीषमपुर मजरा पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 5159/2023 धारा 323,504,506 के वारण्टी अभियुक्त 5. धर्मेन्द्र पाण्डेय पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी टिटिहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा तथा उ0नि0 यूटी0 श्री शिवम कनौजिया, आरक्षी राहुल पुरी द्वारा एसटी0नं0 226/2019 धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 1.राज सिंह पुत्र राजकुमार यादव 2.ओमप्रकाश पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण नहरा थाना सरधुवा तथा एसटी0नं0 140/2015 धारा 304ए,429 भादवि0 व 135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त 3.जियालाय पुत्र स्व0 सुकरू निषाद निवासी अमवां थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iii). उ0नि0 श्री अजहर जमाल थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी सत्येन्द्र सिंह द्वारा मु0अ0सं0 110/2015 धारा 307 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मिठाई लाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम करारी थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(iv). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह,महिला आरक्षी राखी,4.महिला आरक्षी पल्लवी द्वारा मु0नं0 2184/2016 धारा 457,380,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त सुकरू पुत्र भगवानदीन निवासी रानीपुर भट्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक 02.06.2024 को आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर मतगणना स्थल राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट का औचक निरीक्षण किया गया।
आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के साथ 236- चित्रकूट विधानसभा एवं 237- मानिकपुर विधानसभा के मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु मतगणना काउंटर, बैरिकेडिंग,

सीसीटीवी कैमरा का संचालन, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, कूलर, पंखे आब्जर्वर रूम, मीडिया सेंटर, प्रकाश व्यवस्था आदि की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली, आयुक्त ने जिलाधिकारी से कहा कि मतगणना स्थल पर जो भी कार्य अभी अवशेष है उनको तत्काल पूर्ण कराया जाए, उन्होंने कहा कि 04 जून 2024 को मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर किसी भी कर्मचारी, एजेंट एवं अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल फोन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री बृजेश कुमार से कहा कि मतगणना स्थल के लिए जो विद्युत वायर की गई है उसको चेक कर लें ताकि मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो तथा विद्युत आपूर्ति भी लगातार बनी रहे, यह भी आप लोग सुनिश्चित करें तथा विद्युत वायरिंग का प्रमाण-पत्र भी दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर ओआरएस घोल की व्यवस्था के साथ-साथ एम्बुलेंस चिकित्सक व दवाओं की भी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतगणना के दिन बेडी पुलिया से यूपीटी तिराहा तक मार्ग पर वाहनों आवागमन का बंद रहेगा, बड़े एवं भारी वाहन का डायवर्जन बेडी पुलिया शिवरामपुर होते हुए चित्रकूट की साइड एवं कर्वी की साइड किया गया है, जिन वाहनों से कर्मचारियों एजेंटों का आवागमन के लिए उनके पास परिचय-पत्र भी रहेगा तथा उनके भी पार्किंग की व्यवस्था मतगणना स्थल से पहले एवं पोद्दार इंटर कॉलेज सीतापुर में कराई गई है।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक श्री राजेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,उप जिलाधिकारी कर्वी श्री सौरभ यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री बृजेश कुमार, अधिशासी अभियंता विद्युत श्री दीपक सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।